अपील/RCMS-2018/00021

राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–07/2018

पंजियन दि. 04.07.2018
निर्णय दि. 24.07.2019

1. श्री मणीलाल पिता रतना भीणा
2. श्री रामु पिता हवजी भीणा

निवासी ग्राम पांचमहुडी, पटवार हल्का गलन्दर तहसील व जिला डूंगरपुर

–– अपीलार्थी

बनाम

1. श्री हूका पिता नाना मीणा , निवासी पांचमहुडी, तहसील बिछीवाडा व जिला डूंगरपुर
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, बिछीवाडा

––रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :– 1. श्री लक्ष्मणसिंह बियोला – अपीलान्टगण
2. श्री भगवानलाल पटेल – रेस्पोडेन्टगण
3. पैरोकार सरकार

:: निर्णय ::

अपीलार्थीगण की ओर से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत मौजा पांचमहूडी के आराजी नंबर 3255/744 रकबा 02–00 बीघा आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कराने प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण ग्राम पांचमहूडी पटवार हल्का गलन्दर तहसील बिछीवाडा के हॉल खसरा संख्या 3255/744 रकबा 02–00 बीघा भूमि पर विगत 32–35 वर्षो से काबिज हैं तथा पुराने मकानात बने होकर अपने अपने परिवार सहित निवासरत हैं। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर अपने पुराने कब्जे बाबत् पेनाल्टीयां सरकार में जमा कराई हैं। अपीलार्थीगण द्वारा धारा–98 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र में पटवारी हल्का द्वारा वांछित रिपोर्ट नहीं किये जाने से अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 3255/744 का रकंबा 2–00 बीघा का आवंटन अपीलार्थीगण के नाम नहीं हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त के तथ्य को छिपाते हुए हल्का पटवारी से मीलीभगत करते हुए आवंटन करवा लिया है तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 507 के रेकार्ड में अमलदरामद कराते हुए नामान्तकरण संख्या 589 से खातेदारी

Scanned by CamScanner

अधिकार भी प्राप्त कर लिये है। रेस्पोडेन्ट सं.1 ने पटवारी हल्का से मीलीभगत करते हुए प्रार्थीगण के पुराने कब्जे काश्त की उक्त आराजी भूमि का षड़यंत्र एवं कपटता से आवंटन करवा लिया हैं जिससे प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के नाम किया गया आवंटन खसरा संख्या 3255/744 रकबा 2–00 वीघा ग्राम पांचमहूडी को निरस्त किया जाने की प्रार्थना की हैं।

अपीलार्थीगण के उक्त आशय के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया एवं अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश हुआ, जिसमें अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना–पत्र अपीलार्थीगण को खारिज करने निवेदन किया गया।

उभपयक्षों के अभिभाषकगण की बहस समायत की गई। अपीलार्थीगण के योग्य अभिभाषक ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं.1 के नाम आवंटित भूमि पर अपीलार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त हैं तथा उनके मकानात, खलीहान एवं बाड़े बने हुए हैं। अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि को रेस्पोडेन्ट सं.1 ने पटवारी से मीलीभगत करते हुए षड़यंत्र पूर्वक आवंटन कमेटी को धोखे में रखते हुए भूमि का आवंटन वर्ष 2002 में "प्रशासन गांवों के संग" केम्प गलन्दर में दिनांक 19.06.2002 को करवा लिया हैं तथा वर्ष 2005 में खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त कर लिये है। रेस्पोडेन्ट सं.1 को आवंटित भूमि के पास अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित हैं। अपीलार्थीगण के आने–जाने की भूमि पर आवंटी/विपक्षी सं.1 कब्जा कर बैठ गया है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 उक्त भूमि को अपनी आवंटित जमीन बताता हैं। अतः रेस्पोडेन्ट सं.1 के नाम आवंटित उक्त भूमि का आवंटन निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्टगण के योग्य अभिभाषक का कथन है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा उसके पिताजी स्व. श्री नाना के समय से चला आ रहा हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 को विधिवत रूपेण मजमे आम में उक्त भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया हैं। आवंटी को आवंटित भूमि का नियमानुसार मौके पर कब्जा सुपूर्द हुआ है तथा आवंटी मौके पर काविज काश्त है। आवंटी का आवंटन शर्तो की पालना करने से आवंटीत भूमि के खातेदारी अधिकारी भी प्रदत्त किये जा चुके हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 को आवंटन उसके मौके पर पिताजी के समय से कब्जे काश्त एवं पेनाल्टीयां जमा कराने के आधार पर हुआ हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 ने किसी तथ्य को छिपाते हुए आवंटन नहीं करवाया है एवं नही आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार के उल्लंघन का उल्लेख किया हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन रहा है कि आवंटी ने आवंटित भूमि को परिश्रम करके काश्त योग्य बनाया हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि रेस्पोडेन्ट सं.1 को आवंटित भूमि के पास में होने का कथन करते हुए रेस्पोडेन्ट सं.1 के साथ आये दिन विवाद करते रहते है तथा रेस्पोडेन्ट सं.1 की आवंटित भूमि में जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट सं.1

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

को आवंटित भूमि में जबरन मकान बनाने पर उतारू हुए जिस पर रेस्पोडेन्ट सं.1 को उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन प्राप्त करना पड़ा है। प्रार्थीगण ने असत्य आधारो पर महज रेस्पोडेन्ट सं.1 को परेशान करने के दृष्टिकोण से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 को आवंटित भूमि बाबत प्रार्थीगण के पुराने काश्त कब्जे बाबत कोई सबूत प्रस्तुत नहीं हुआ हैं। अतः प्रार्थना–पत्र अपीलार्थीगण खारिज किया जावें।

पैरोकार सरकार औपचारिक रूपेण उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली एवं इसमें संलग्न दस्तवेजात का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने ग्राम पांचमहूडी के खसरा संख्या 744 में से रकबा 02–00 बीघा भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ रेस्पोडेन्ट सं.1 को किये गये आवंटन जिसका नवीन खसरा सं. 3255/744 कायम हुआ हैं, के आवंटन को निरस्त कराने प्रार्थना–पत्र आवंटन नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया हैं। अपीलार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में जहां एक ओर अपने आवेदन पत्र में पटवारी द्वारा रिपोर्ट अंकित नहीं करना लिखा है वही आगे " प्रशासन गांवों के संग केम्प गलन्दर में प्रस्तावित होने की जानकारी नहीं होने से उपस्थित नहीं होना अंकित किया हैं। रेस्पोडेन्ट सं.1 को जरिये मिसल नंबर 1254/2002 दिनांक 19.06.2002 को केम्प गलन्दर में भूमि आवंटन संलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन हुआ हैं। आवंटित भूमि का मौके पर आवंटी को कब्जा सुपूर्द होकर आवंटित भूमि का रेकार्ड में अंकन हुआ हैं। आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये हैं। आवंटी ने अपनी आवंटित भूमि का सीमांकन करवाया हैं। आवंटी ने अपने पुराने कब्जे के प्रमाण स्वरूप पेनाल्टी जमा कराने की रसीदात प्रस्तुत की हैं। रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने उपखण्ड न्यायालय बिछीवाडा में विचाराधीन प्रकरण संख्या 13/18 की प्रतिलिपी भी प्रस्तुत की हैं। अपीलार्थीगण की ओर से प्रश्नगत भूमि पर अपने पुराने काश्त कब्जे बाबत न तो कोई सबूत ही प्रस्तुत किया गया हैं एवं न हीं रेस्पोडेन्ट सं.1 के द्वारा किसी प्रकार के तथ्यों को छिपाकर आवंटन करवाना अथवा आवंटन प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए आवंटन करवाना ही प्रमाणित कराया गया हैं, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम मौजा पांचमहूडी पटवार हल्का गलन्दर तहसील बिछीवाड़ा में आवंटित भूमि हाल आराजी नंबर 3255/744 रकबा 00–02 बीघा का आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन दिवडा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner